

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****विशेष अपील संख्या 518/2023**

उ.प्र. जल निगम (नगरीय) द्वारा इसके प्रबंध निदेशक, लखनऊ एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

नंद किशोर वर्मा

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्री कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, श्री ऋषभ कपूर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : सुश्री सविता जैन, श्री श्रीदीप चटर्जी न्यायमित्र के रूप में

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय,

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ कपूर, विद्वान न्यायमित्र श्री श्रीदीप चटर्जी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री सविता जैन को सुना गया।

2. इस अपील के माध्यम से, याचिकाकर्ता-उ.प्र. जल निगम (नगरीय) ने रिट ए संख्या 3736/2023 (नंद किशोर वर्मा बनाम उ.प्र. जल निगम (नगरीय) एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.05.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार की गई है, जिसमें दिनांक 23.01.2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति पश्चात देयकों, अर्थात् ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण को ऑडिट आपत्तियों के आधार पर रोकते हुए देने से इनकार कर दिया गया था।
3. हमने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.10.2023 का परिशीलन किया है, तथापि, हम इस अपील को गुण-दोष के आधार पर निर्णीत करने हेतु अग्रसर हैं।
4. हमने सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 922, 923 आदि की प्रयोज्यता के संबंध में हमारी सहायता करने हेतु श्री श्रीदीप चटर्जी को विद्वान न्यायमित्र नियुक्त किया था। उन्होंने हमारे समक्ष निर्णयों का एक संकलन प्रस्तुत किया है, जिनमें से एक इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 01.03.2023 को **विशेष अपील संख्या 63/2023 (प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ एवं अन्य बनाम मीना श्रीवास्तव एवं अन्य)** में पारित किया गया है। हमारे समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका विशेष अपील संख्या 518/2023 उक्त निर्णय दिनांक 01.03.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2023 को आरंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है।

5. वाद के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता दिनांक 31.01.2019 को याचिकाकर्ता की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति पश्चात देयकों को रोकने का आदेश पारित करने हेतु दिनांक 23.01.2023 को अर्थात् प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लगभग चार वर्ष बाद जागे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **रिट ए संख्या 1519/2023 (गोविंद लाल बनाम उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण) एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 पर विश्वास व्यक्त करते हुए, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार कर ली, आदेश दिनांक 23.01.2023 को रद्द कर दिया और आगे याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान/वसूली तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करें। दिनांक 04.01.2023 के देयक प्रमाण पत्र को भी इसी आधार पर रद्द कर दिया गया।

6. हमने **गोविंद लाल (पूर्वोक्त)** के वाद में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का अवलोकन किया है, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय में सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 922 की प्रयोज्यता पर विचार किया गया था और ऊपर उल्लिखित खंडपीठ के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई थी। उक्त निर्णय दिनांक 17.02.2023 के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2024 को निरस्त कर दी गई थी।

7. हमने सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 922 में अंतर्निहित प्रावधानों का भी अवलोकन किया है जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्भरता व्यक्त की गई है। इस तथ्य के अतिरिक्त

कि गोविंद लाल (पूर्वोक्त) के वाद में इसी प्रावधान पर विचार किया गया था और उस पर आधारित तर्क को अस्वीकार कर दिया गया था जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी गई है, हम सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 922 और 923 को पढ़ने पर पाते हैं कि स्टॉक/सामग्री की कमी जैसे देयक उपर्युक्त प्रावधानों के लागू होने के अपवाद थे, जैसा कि सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 923(5) से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, विनियम 923(5) के अनुसार सरकारी देयकों का ऐसा निर्धारण, समायोजन या वसूली, जो उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय हैं, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए था, जबकि, इस वाद में, आदेश सेवानिवृत्ति के लगभग चार वर्ष पश्चात पारित किया गया है, अतः अपीलकर्ता सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 922 और 923 के अंतर्गत शरण नहीं ले सकते। सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 351ए के अंतर्गत कोई कार्यवाही अपीलकर्ताओं द्वारा आरंभ नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता विशेष अपील संख्या 63/2023 में पारित खंडपीठ के निर्णय में पक्षकार थे और उन्होंने ऊपर उल्लिखित एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था।

8. उपरोक्त चर्चाओं/टिप्पणियों के दृष्टिगत, हम अपने समक्ष आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, तदनुसार, हम इस विशेष अपील को निरस्त करते हैं।
9. हम विद्वान न्यायमित्र श्री श्रीदीप चटर्जी द्वारा किए गए प्रयासों और प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं।

(अमिताभ कुमार राय, न्यायमूर्ति) (राजन रॉय, न्यायमूर्ति)



17 मार्च, 2026

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.